

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 676

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

राज्यीय राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन

676. श्री राजेश रंजन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुरसेला से पौड़िया, फलका, मीरगंज, सरसी, रानीगंज, फारबिसगंज होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-31 को राष्ट्रीय राजमार्ग-57 से जोड़ने वाले राज्यीय राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उदाकिशुनगंज से बिहारीगंज, मुरलीगंज, खुर्दा, रामनगर होते हुए प्रतापगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 57 को जोड़ने वाले राज्यीय राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) यह मंत्रालय बिहार राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त करता रहता है। मंत्रालय नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड, संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।
